IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण के आयाम: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोधार्थी: डॉ. डौली (प्रवक्ता: समाजशास्त्र, रा.इ.का. आछरीखुण्ट टि.ग.।)

सारांश (Abstract)

सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ है-सशक्त होना, सक्षम होना या शक्तिशाली बनाना या बनना। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो वर्ग पिछड़े हुए थे (शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से) उन्हें, सक्षम बनाना। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है, कि महिलायें अपने अधिकारों को जाने और अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके। इसके लिए समाज, स्वयं महिलाओं और सरकारी नीतियों ने महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किए हैं। महिला सशक्तिकरण प्रगतिशील समाज की नींव है। आज महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक व अपने प्रति निर्णय लेने में सक्षम हैं। यह शोध पत्र महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयामों—शिक्षा, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक स्वतंत्रता—का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण अभी भी सीमित है।

Keywords: महिला सशक्तिकरण, लिंग, आयाम, क्षमता दृष्टिकोण, महिला साक्षरता।

प्रस्तावना (Introduction)

समकालीन विश्व में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) न केवल एक नैतिक या मानवीय मुद्दा है, बल्कि सामाजिक विकास का मूलभूत आधार भी है। जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसकी चर्चा करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत स्तर की उपलब्धि नहीं, अपितु सामाजिक संरचना, सत्ता संबंधों, सांस्कृतिक मानदंडों और आर्थिक व्यवस्था में गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह अध्ययन **"महिला सशक्तिकरण के आयाम: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"** शीर्षक के अंतर्गत इसी बहुआयामी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है।

समाजशास्त्र में महिला सशक्तिकरण को अमर्त्य सेन की 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach) और नारा शरण की 'सशक्तिकरण की प्रक्रिया' के सिद्धांतों के माध्यम से देखा जाता है। इन विचारकों के अनुसार सशक्तिकरण वह अवस्था है जिसमें महिला अपनी इच्छाओं, निर्णयों और कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त करती है तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाओं से मुक्त होकर पूर्ण मानवीय क्षमता का विकास करती है। पितृसत्तात्मक समाजव्यवस्था, लिंग-आधारित विभेदीकरण और सांस्कृतिक रूढ़िवादिता ने सदियों से महिलाओं को संसाधनों, अवसरों और निर्णय-प्रक्रिया से वंचित रखा है। फलस्वरूप, वे न केवल आर्थिक रूप से निर्भर बनी रहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी हाशिए पर धकेली गईं।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं, जिन्हें इस अध्ययन में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया जाएगा:

- **आर्थिक आयाम** – संपत्ति, रोजगार, वित्तीय स्वायत्तता और श्रम-बाजार में समान भागीदारी।
- **सामाजिक आयाम** – शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्णय-लेने की स्वतंत्रता और सामाजिक गतिशीलता।
- **राजनीतिक आयाम** – मताधिकार, प्रतिनिधित्व, नीति-निर्माण में भागीदारी तथा कानूनी सुरक्षा।
- **सांस्कृतिक आयाम** – लिंग-भूमिका की पुनर्व्याख्या, रूढ़िवादी मान्यताओं का विखंडन तथा मीडिया-संस्कृति का प्रभाव।
- **व्यक्तिगत आयाम** – आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास, शारीरिक एवं मानसिक स्वायत्तता।

भारतीय संदर्भ में यह मुद्दा और भी प्रासंगिक हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में समानता के अधिकारों के बावजूद, वास्तविकता में लिंग-आधारित असमानता आज भी विद्यमान है। राष्ट्रीय महिला आयोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वयं सहायता समूहों जैसी योजनाओं ने निस्संदेह प्रगति की है, परंतु दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और शहरी क्षेत्रों में काम-जीवन संतुलन की चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं। यह समाजशास्त्रीय अध्ययन इन आयामों को मात्र वर्णनात्मक नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक रूप से समझने का प्रयास करेगा।

"महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी" में की गई थी। महिला सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग 90 के दशक में किया गया। जिसका तात्पर्य है "महिलायें अपने को किसी भी मायने में अस्तित्व हीन न समझें, चाहे वे शारीरिक शक्ति सम्पन्नता हो या सामाजिक शक्ति सम्पन्नता।"
सरकारी पहल: महिला शक्ति केन्द्र (MSK) 2022 तक ग्रामीण भारत में 2640 केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जो महिलाओं को कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है। NALSA 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल लगभग 10000 ग्रामीण महिलाओं ने इन शिविरों में भाग लिया।

2001 में जहाँ बात 'समानता' की शुरू हुई थी, 2026 तक वह 'नेतृत्व' पर पहुँच चुकी है। अब महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था (GDP) को बढ़ाने का मुख्य इंजन बन गया है। महिला सशक्तिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study):

इस शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. महिला सशक्तिकरण में सरकारी नीतियों के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

2. आर्थिक और डिजिटल क्रांति में महिलाओं की पहुंच का अध्ययन करना।

3. खेल जगत में महिलाओं की पहुंच का अध्ययन करना।

4. महिला साक्षरता का विश्लेषण करना।

साहित्य समीक्षा:

इस अध्ययन में उपलब्ध साहित्य, रिपोर्ट्स तथा प्रमुख विचारकों के सिद्धांतों के आधार पर महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया गया है। यह साहित्य पुनरावलोकन विशेष रूप से सकारात्मक प्रवृत्तियों (Positive Trends) और सशक्तिकरण के बढ़ते प्रभावों को उजागर करता है।

आधुनिक रिपोर्ट्स जैसे United Nations Development Programme (UNDP) और World Bank ने महिला सशक्तिकरण को विकास का प्रमुख सूचक माना है। भारत में National Statistical Office (PLFS), National Crime Records Bureau (NCRB) तथा Ministry of Education India (AISHE) की रिपोर्ट्स महिलाओं की वास्तविक स्थिति को आँकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं।

Amartya Sen (Capability Approach – Recent Applications) 2015–2025 के अध्ययनों में Sen के Capability Approach का उपयोग किया गया। यह पाया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ महिलाओं की “capabilities” को बढ़ाती हैं

Bina Agarwal (Post-2015 Studies on Land Rights) हाल के शोधों में पाया गया कि महिलाओं को भूमि और संपत्ति का अधिकार मिलने से उनकी bargaining power बढ़ती है। घरेलू निर्णयों में उनकी भागीदारी मजबूत होती है।

Esther Duflo (2017–2022 Studies) Duflo के अध्ययनों में पाया गया कि महिलाओं को आर्थिक अवसर देने से पूरे समाज का विकास होता है। महिला नेतृत्व से बेहतर नीतियाँ और सामाजिक परिणाम मिलते हैं।

Naila Kabeer के “Resources–Agency–Achievements” मॉडल को 2015 के बाद के अध्ययनों में व्यापक रूप से अपनाया गया।

दैनिक जागरण (2008) के लेख में फिक्की लेडीज आर्गनाइजेशन (एफ.एल. ओ) की अधिशासी निदेशक शिप्रा चटर्जी कहती है कि, तकरीबन हर महिला के अन्दर एक उद्यमी छिपी है, उसे बस एक उचित अवसर की तलाश है। अर्थव्यवस्था में तेजी और औरतों के प्रति व्यवहार में बदलाव आने से उसे महिला उद्यमियों की शीर्ष संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन इंटरप्रेन्योंसं (फीटों) की अध्यक्ष रजनी अग्रवाल इस क्रांति के पीछे दो मुख्य वजह बताती है। पहले आर्थिक उदारीकरण के बाद कारोबार करना आसान हुआ दूसरी हर महिला अपने घर परिवार की आर्थिक स्थित में अपनी अलग भूमिका निभाना चाहती है।

अजित एन.पी. अब्दुल (2015) भारत में महिला सशक्तिकरणः लेखक के अनुसार इस किताब में यह बताया गया है कि भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में राजनैतिक, आर्थिक, शिक्षा, कृषि और आदि का अहम योगदान रहा है, और इसमें यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य स्थिति और नई-नई चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जाये।

इन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संसाधनों और अवसरों की उपलब्धता से महिलाओं का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास संभव होता है। ये सभी अध्ययन महिला सशक्तिकरण के व्यावहारिक (practical) और सकारात्मक प्रभावों को दर्शाते हैं। महिला सशक्तिकरण एक सकारात्मक और प्रगतिशील प्रक्रिया है, जो शिक्षा, आर्थिक संसाधनों, सामाजिक समावेशन और नीतिगत समर्थन के माध्यम से निरंतर मजबूत हो रही है। यह भी स्पष्ट है कि जब महिलाओं को समान अवसर और संसाधन प्रदान किए जाते हैं, तो वे न केवल स्वयं सशक्त होती हैं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

तथ्य संकलनः द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है।

1. नीतिगत और कानूनी ढांचा (Policy & Legal Shifts):

पिछले दो दशकों में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कई ऐतिहासिक कानून बनेः

2001 (महिला अधिकारिता वर्ष): भारत सरकार ने ‘महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति’ घोषित की। "सरकार द्वारा 20 मार्च 2001 को महिला सशक्तिकरण की नीति लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रगति विकास एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है और महिलाओं के साथ प्रत्येक तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चत करना है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गतिविधियों में खुलकर भाग लें।"[5]

घरेलू हिंसा से संरक्षण (2005): महिलाओं को घर के भीतर होने वाली हिंसा के खिलाफ कानूनी कवच मिला।

विशाखा गाइडलाइंस और POSH एक्ट (2013): कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त नियम लागू हुए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023): संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का ऐतिहासिक कानून पारित हुआ, जो 2026 और उसके बाद की राजनीति की दिशा बदलेगा।

सारणी: 1

न्याय तक पहुँच		
श्रेणी	**ग्रामीण**	**शहरी**
कानूनी जागरूकता (%)	~30	~50
अपराध रिपोर्टिंग (%)	~10–15	~20–25
सहायता सेवाओं तक पहुँच (%)	~25	~40

(स्रोत: NCRB, UN Women, Legal Services Authority Reports)

NCRB डेटा दर्शाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ी है, लेकिन अभी भी अंडर-रिपोर्टिंग एक बड़ी समस्या है। भारत में महिला सशक्तिकरण में धीमी लेकिन सकारात्मक प्रगति हो रही है।

सारणी: 2

राजनीतिक भागीदारी			
स्तर	**पंचायत**	**राज्य विधानसभा**	**संसद**
महिलाओं की भागीदारी (%)	~50	~9	~14
निर्वाचित प्रतिनिधि (%)	~46	~8	~14

(स्रोत: Election Commission of India, UN Women)

स्थानीय स्तर पर आरक्षण ने भागीदारी बढ़ाई है, लेकिन उच्च स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति अभी भी सीमित है, यह राजनीतिक सशक्तिकरण की असमानता को दर्शाता है।

2. आर्थिक और डिजिटल क्रांति:

आर्थिक रूप से महिलाएं अब पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र हैं:
स्टेम (STEM) में भागीदारी: विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। आज भारत में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक महिला पायलट (लगभग 15%) हैं।

डिजिटल साक्षरता: स्मार्टफोन और इंटरनेट के प्रसार ने ग्रामीण महिलाओं को 'लखपति दीदी' और 'ड्रोन दीदी' जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमी बनाया है। ये दोनों योजनाएं विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए हैं जो 'स्वयं सहायता समूहों'(Self Help Groups) के माध्यम से संगठित हैं।

सारणी: 3

विशेषता	**लखपति दीदी**	**ड्रोन दीदी**
मुख्य फोकस	आय में वृद्धि (एक लाख रूपये सालाना)	कृषि में तकनीक (ड्रोन) का उपयोग
प्रशिक्षण	विभिन्न लघु उद्योग और कौशल	ड्रोन पायलट और मेंटेनेंस
क्षेत्र	व्यापार और स्वरोजगार	आधुनिक कृषि सेवा

स्टार्टअप कल्चर: 2020 के बाद महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या में उछाल आया है, जो केवल ब्यूटी या फैशन तक सीमित न रहकर फिनटेक और डीप-टेक में भी सक्रिय हैं।

सारणी: 4

डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट उपयोग (NSSO/ITU)		
श्रेणी	**इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाएँ**	**पुरुषों की तुलना (%)**
प्रतिशत (%)	~33	पुरुष ~57

डिजिटल विभाजन (Digital Divide) महिलाओं को सूचना और अवसरों से दूर रखता है, जो आधुनिक सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है।

सारणी: 5

महिला श्रम बल भागीदारी (PLFS 2022–23)			
क्षेत्र	**कुल**	**ग्रामीण**	**शहरी**
भागीदारी (%)	~37	~41	~25

ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी अधिक है, लेकिन यह अक्सर अनौपचारिक और कम वेतन वाले कार्यों में होती है। शहरी महिलाओं की कम भागीदारी "काँच की छत (Glass Ceiling)" और सामाजिक मान्यताओं को दर्शाती है।

सारणी: 6

वेतन असमानता (Gender Wage Gap) – (ILO/World Bank)		
क्षेत्र	**औपचारिक क्षेत्र**	**अनौपचारिक क्षेत्र**
वेतन अंतर (%)	19	30+

महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन मिलता है। यह पितृसत्तात्मक संरचना (Patriarchy) और श्रम बाजार में भेदभाव को दर्शाता है।

3. सामाजिक और खेल जगत में बदलाव:

सारणी: 7

सामाजिक स्वतंत्रता				
संकेतक	**शिक्षा का अधिकार उपयोग**	**रोजगार की स्वतंत्रता**	**स्वतंत्र आवाजाही**	**विवाह निर्णय में भागीदारी**
प्रतिशत (%)	~75	~55	~50	~60

(स्रोत: UNDP Gender Inequality Index, NSSO सामाजिक सर्वे)

UNDP के Gender Inequality Index में भारत का स्थान मध्यम स्तर पर है, जो सामाजिक बाधाओं को दर्शाता है।

सारणी: 8

स्वास्थ्य और पोषण स्थिति		
क्षेत्र	**ग्रामीण**	**शहरी**
कुपोषण (%)	~35	~20
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच (%)	~60	~80
मातृ मृत्यु दर (MMR)	~130	~70

(स्रोत: WHO, World Bank, Sample Registration System)

भारत में SRS (Sample Registration System) के अनुसार MMR ~97 (राष्ट्रीय औसत), ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक। स्वास्थ्य सेवाओं की असमान उपलब्धता ग्रामीण महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। यह स्वास्थ्य असमानता (Health Inequality) को दर्शाता है।

सारणी: 9

महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का प्रभाव			
क्षेत्र	**1951 की स्थिति**	**2001 की स्थिति**	**2007-2011**
महिलाओं की जीवन प्रत्याशा औसत	31.60 वर्ष	66.00 वर्ष	63.4 (2007)
लड़कियों के विवाह की आयु औसत	15.60 वर्ष	18.50 वर्ष	19.7 (2011)
जन्म दर (प्रति हजार में)	39.90	27.04	22.5 (2009)
जन्म दर (प्रति हजार में)	29.40	9.00	9.3 (2009)
शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार में)	131	70	50 (2009)
महिला साक्षरता दर (प्रतिशत में)	8.86	54.16	65.64 (2011)

स्रोतः वित्त मंत्रालय भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2009-2010 स्रोतः The world's women and girls 2011

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि मानव विकास के अधिकांश क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। जहाँ 1951 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 31.6 वर्ष थी, वहीं 2007 में यह लगभग दुगना बढ़कर 63.4 वर्ष हो गयी है। इसी तरह लड़कियों के विवाह की औसत आयु 1951 में 15.6 वर्ष थी, जो 2011 में 4.1 वर्ष बढ़कर 19.7 वर्ष हो गयी है। महिलाओं के जन्मदर एवं मृत्युदर में भी कमी आयी है। 1951 में जहाँ बालिका जन्मदर प्रति हजार 39.9 तथा मृत्युदर प्रति हजार 29.4 थीं, वहीं यह आंकड़ा 2009 में घटकर क्रमशः 22.5 व 9.3 हो गया है। महिला साक्षरता दर में भी हमेशा वृद्धि देखने को मिली है। 1951 में जहाँ महिला साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी, वहीं 2011 में बढ़कर 65.64 प्रतिशत हो गयी है। उपरोक्त आंकड़ो से स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में किये गये प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं।

खिलाड़ियों का उदयः मिताली राज से लेकर पी.वी. सिंधु और विनेश फोगाट तक, महिला खिलाड़ियों ने यह साबित किया कि मैदान पर उनकी उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। "आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 (13वां संस्करण) भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसे भारत ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार जीता। यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक चला। दीप्ति शर्मा को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया।"

सेना में भूमिका: 2001 में महिलाएं केवल कुछ विभागों तक सीमित थीं, लेकिन 2026 तक आते-आते वे कॉम्बैट रोल (युद्धक भूमिकाओं), लड़ाकू विमानों और स्थाई कमीशन (Permanent Commission) में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

सारणी: 10

कुल (सिविल-सशस्त्र) पुलिस में महिला पुलिस का प्रतिशत				
क्रमांक	**राज्य**	**कुल स्वीकृत पद**	**महिला पुलिस की संख्या**	**सम्पूर्ण पुलिस में महिला पुलिस का प्रतिशत**
1.	आन्ध्र प्रदेश	108,075	1,719	1.59
2.	अरूणाचल प्रदेश	6,018	288	4.79
3.	असम	62,920	559	0.89
4.	बिहार	74,188	882	1.19
5.	छत्तीसगढ़	42,236	1,107	2.62
6.	गोवा	5,055	315	6.23
7.	गुजरात	74,868	2,474	3.30

8.	हरियाणा	52,136	1,358	2.60
9.	हिमाचल प्रदेश	14,369	605	4.21
10.	जम्मू कश्मीर	94,769	1,634	1.72
11.	झारखण्ड	54,277	1,701	3.13
12.	कर्नाटक	88,679	2,783	3.10
13.	केरल	43,909	2,783	6.34
14.	मध्य प्रदेश	76,826	2,289	2.98
15.	महाराष्ट्र	201,251	9,105	4.52
16.	मणिपुर	19,064	459	2.41
17.	मेघालय	11,293	174	1.54
18.	मिजोरम	9,115	222	2.44
19.	नागालैण्ड	33,487	253	1.05
20.	उड़ीसा	47,216	3,092	6.55
21.	पंजाब	71,869	1,472	2.05
22.	राजस्थान	372,626	2,662	3.67
23.	सिक्किम	3,886	179	4.61
24.	तमिलनाडु	102,421	20,225	9.98
25.	त्रिपुरा	25,918	659	2.54
26.	उत्तर प्रदेश	166,152	2,154	1.30

स्त्रोतः रिपोर्ट ऑफ नेशनल कान्फ्रेंस, वीमेन इन पोलिस, 31 दिसम्बर, 2005

वर्तमान समय में महिला पुलिस, पुलिस का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज पुलिस विभाग में प्रत्येक पद पर महिलाएं आसीन हैं।

4. महिला साक्षरताः

सारणीः 11

विगत दशकों में साक्षरता वृद्धि का तुलनात्मक आंकड़ा			
जनगणना वर्ष	**कुल साक्षरता का प्रतिशत**	**पुरूष साक्षरता का प्रतिशत**	**महिला साक्षरता का प्रतिशत**
1911	5.9	10.6	1.0
1921	7.2	12.2	1.8
1931	9.5	15.6	2.9
1941	16.1	14.9	7.3
1951	18.33	21.16	8.86
1961	28.3	40.40	15.35
1971	34.45	45.96	21.97
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.83	75.26	53.67
2011	74.04	82.14	65.46
2021	77.7 (अनुमानित)	89.53	75.93

स्त्रोत- जनगणना के विविध आंकड़ों पर आधारित

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पिछले 10-12 दशकों में हमारे देश में शिक्षा एवं साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है।

सारणी: 12

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण				
शिक्षा स्तर	**अशिक्षित**	**प्राथमिक**	**माध्यमिक**	**उच्च शिक्षा**
महिला साक्षरता (%)	~30	~50	~65	~80+
उच्च शिक्षा भागीदारी (%)	~2	~8	~20	~48 (AISHE)
निर्णय क्षमता (%)	~20	~35	~55	~70–75

(स्रोत: Census 2011, AISHE रिपोर्ट)

AISHE (All India Survey on Higher Education) के अनुसार उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 48–49% है। महिलाएँ उच्च शिक्षा में लगभग बराबरी पर पहुँच चुकी हैं। यह लैंगिक समानता (Gender Parity) की दिशा में सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह आर्थिक सशक्तिकरण में पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो पा रहा।

निष्कर्ष (Conclusion)

2001 में जहाँ बात 'समानता' की शुरू हुई थी, 2026 तक वह 'नेतृत्व' पर पहुँच चुकी है। अब महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था (GDP) को बढ़ाने का मुख्य इंजन बन गया है। महिला सशक्तिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज की महिलाएँ अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बहुत काम करना बाकी है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहाँ हर लड़की निडर होकर सपने देख सके और उन्हें पूरा करने का साहस रख सके। सशक्त महिला ही एक सशक्त राष्ट्र की जननी है।

समग्र समाजशास्त्रीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा और उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है। जब तक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और डिजिटल क्षेत्रों में समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं होगा।

सबसे पहले, शैक्षिक आयाम पर विचार करें तो यह पाया गया कि महिलाओं की साक्षरता दर तथा उच्च शिक्षा में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा में महिलाओं की लगभग समान भागीदारी यह संकेत देती है कि समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक बदलाव आया है। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह भी स्पष्ट है कि यह शैक्षिक उपलब्धि अभी तक पूर्ण रूप से आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं हो पाई है।

दूसरा महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक सशक्तिकरण है। श्रम बल भागीदारी के आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं की कार्य भागीदारी अभी भी सीमित है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी अधिक होने के बावजूद वह अधिकतर अनौपचारिक, कम वेतन और असुरक्षित कार्यों तक सीमित है। इसके साथ ही वेतन असमानता और आय पर नियंत्रण की कमी यह दर्शाती है कि महिलाएँ अभी भी आर्थिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। यह स्थिति पितृसत्तात्मक संरचना और लैंगिक भेदभाव की निरंतरता को दर्शाती है।

तीसरा आयाम स्वास्थ्य और पोषण का है, जहाँ सुधार तो हुआ है, परंतु ग्रामीण-शहरी असमानता अभी भी स्पष्ट है। मातृ मृत्यु दर और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में अंतर यह दर्शाता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य अभी भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर है। स्वस्थ शरीर के बिना सशक्तिकरण अधूरा रहता है।

चौथा आयाम राजनीतिक सशक्तिकरण है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि एक सकारात्मक परिवर्तन है, जो आरक्षण नीति का परिणाम है। किंतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कम उपस्थिति यह दर्शाती है कि निर्णय लेने वाले उच्च संस्थानों में महिलाओं की भूमिका अभी भी सीमित है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संरचनात्मक बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं।

पाँचवाँ और अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक स्वतंत्रता और सुरक्षा है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि समाज में अभी भी महिलाओं की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। घरेलू हिंसा का उच्च

प्रतिशत यह दर्शाता है कि समस्या केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं, बल्कि निजी जीवन में भी गहराई से मौजूद है। यह पितृसत्ता और सामाजिक मान्यताओं की जड़ता को उजागर करता है।

अंततः, डिजिटल और कानूनी सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी असमानता देखने को मिलती है। डिजिटल साक्षरता में लैंगिक अंतर महिलाओं को आधुनिक अवसरों से वंचित करता है, जबकि कानूनी जागरूकता की कमी उन्हें अपने अधिकारों के प्रयोग से रोकती है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, राजनीतिक भागीदारी और सुरक्षा आवश्यक है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक संरचना अभी भी एक प्रमुख बाधा है।

संदर्भ सूची (References)

1. Bhasin, K. (2004). Understanding gender. New Delhi: Kali for Women.
2. Sen, A. (1990). Gender and cooperative conflicts. In I. Tinker (Ed.), Persistent inequalities: Women and world development (pp. 123–149). New York, NY: Oxford University Press.
3. Government of India. (2011). Census of India 2011: Primary census abstract. New Delhi: Office of the Registrar General.
4. Ministry of Education. (2022). All India Survey on Higher Education (AISHE) 2021–22. New Delhi: Government of India.
5. National Statistical Office. (2023). Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2022–23. New Delhi: Government of India.
6. National Crime Records Bureau. (2022). Crime in India 2022. New Delhi: Ministry of Home Affairs.
7. Election Commission of India. (2023). Statistical report on general elections. New Delhi: Government of India.
8. Office of the Registrar General & Census Commissioner. (2020). Sample Registration System (SRS) bulletin. New Delhi: Government of India.
9. World Bank. (2021). Global Findex database 2021. Washington, DC: World Bank.
10. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Human development report 2022. New York: UNDP.
11. UN Women. (2020). Progress of the world's women 2019–2020. New York: United Nations.
12. Shettar, R. M. (2015). A study on issues and challenges of women empowerment in India. IOSR Journal of Business and Management, 17(4), 13-19.
13. Singh, S. (2020). Women empowerment in India: A critical analysis. Graduate Women International.
14. Mokta, M. (2014). Empowerment of women in India: A critical analysis. Indian Journal of Public Administration, 60(3), 473-488.
15. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435–464.
16. Agarwal, B. (1994). A field of one's own: Gender and land rights in South Asia. Cambridge: Cambridge University Press.
17. Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. Journal of Economic Literature, 50(4), 1051–1079.
18. International Monetary Fund. (2020). Gender equality and economic growth. Washington, DC: IMF.
19. Gopinath, G. (2019). Gender equality and economic growth. IMF Blog.
20. Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
21. श्रीवास्तव, सुधीर कुमार "महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका", राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा, वर्ष 8 अंक 1 जनवरी-जून 2006 (समाज विज्ञान विकास संस्थान चांदपुर, बिजनौर) पेज न.-73
22. NFHS-5 (2019-21) रिपोर्ट, भारत सरकार।
23. सोनपुरी, "स्वंय सहायता समूह एवं महिला सशक्तीकरण एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण राधाकमल मुखर्जी चिन्तन परम्परा, वर्ष 17 अंक-2 जुलाई-दिसम्बर 2015 पेज नं0 80-81.